...ायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

...ना–पत्र संख्या :–205 / 2023 दायर दिनांक–: 04.8.2023

SCMS NO:- 2023/345 पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

सोजी पुत्र मंगला जति मीना नि0 ग्राम चीतों की झोपडिया तहसील नैनवॉ।

प्रार्थी

बनाम

राजरथान राज्य द्वारा श्रीयुत तहसीलदार साहब तहसील नैनवॉ जिला बन्दी।

अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 251क आर.टी.एक्ट</u>

उपस्थितिः–

प्रार्थी की ओर से अभिभाषक श्री सत्यनारायण लवानिया।

निर्णय दिनांक 11.06.2025

–:निर्णयः–

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम चीतों की झोपडिया प0म0 भजनेरी तहसील नैनवॉ मे खाता संख्या 143 की कृषि भूमि खसरा नम्बर 861 / 451 रकबा 0.4854 हैक्टयर भूमि स्थित है जिसका प्रार्थी खातेदार कृषक है और इसी हैसियत से काबिज काश्त है।

यह कि प्रार्थी के खातेदारी अधिकार व कब्जे काश्त की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमिप र आने जाने, कृषि यंत्रों को लाने ले जाने के लिए राजस्व रिकॉर्ड मे कोई रास्ता दर्ज नही होने के कारण प्रार्थी को भारी कठिनाई का सामना करना पड रहा है। प्रार्थी ग्राम चीतों की झोपडिरूा से गांव के रास्ते मे से होकर खसरा नम्बर 372 सरकारी रास्ते मे होकर खसरा नम्बर 451 मे होते हुए आता जाता है और अपने कृषि उपकरण लाता ले जाता है परन्तु यह रास्ता राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज नही है। इसलिए प्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड मे इस रास्ते का अंकन करवाना चाहता है। इस रास्ते को परिशिष्ट अ मे अ से ब बिन्दू के बीच लाल लाईनों से दिखाया गया है। यह कि उपरोक्त रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थी के पास प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित अपनी कृषि भूमि मे आने जाने के लिए अन्य कोई निकटतम रास्ता नही है। प्रार्थी को दिये जाने वाली सरकारी सिवायचक भूमि का प्रार्थी नियमानुसार प्रतिकर अदा करने का तैयार है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

तहसीलदार नैनवॉ द्वारा पत्रांक / राजस्व / 2025 / 786 दिनांक 27.5.2025 से रिपोर्ट पेश कर बताया कि प्रार्थी ने खसरा नम्बर 861 / 451 पर पहुंचने के लिए रास्ता चाहा है तथा परिशिष्ट अ मे प्रार्थी द्वारा जिस भूमि के लिए रास्ता चाहा गया है वह भूमि मुताबिक रिकॉर्ड प्रार्थी की भूमि ना होकर अन्य व्यक्ति रामगोपाल पि0 केसरा जाति मीणा सा0 देह खातेदार की भूमि है जिसके खसरा नम्बर 560 / 451 है जिससे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट पर प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दिनांक 30.5.2025 को नवीन संशोधित परिशिष्ट अ पेश करने का निवेदन किया गया। निवेदन स्वीकार किया जाकर प्रार्थी अधिवक्ता को अवसर दिया गया।

आज दिनांक 11.06.2025 को प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा संशोधित नवीन परिशिष्ट अ पेश करने मे असहमति जाहिर की। पत्रावली का अवलोकर किया तथा पाया कि प्रार्थी द्वारा परिशिष्ट अ मे वर्णित जिस भूमि के लिए रास्ता चाहा गया था, वह भूमि प्रार्थी की ना होकर अन्य खातेदार रामगोपाल मीणा के नाम खातेदारी भूमि रिकॉर्ड दर्ज है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 11.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवा